MFN Status for Trade between India and Pakistan

2117. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Pakistan is giving MFN (Most Favoured Nation) Status to India in trade as contemplated under recently established W.T.O. (World Trade Organisation);

(b) if so, the areas of trade to be affected;

(c) will India also reciprocate to accord Pakistan MFN Status in trade; and

(d) if so, areas of the trade to be affected?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (d) India and Pakistan are both members of the World Trade Organisation, and by virtue of Article 1 of the General Agreement on Tariffs and Trade are obliged to extend Most Favoured Nation (MFN) treatment to each other. In compliance with our obligations, India has been according MFN treatment to imports from pakistan, except for the period between 1965 and 1974, when trade between the two countries was disrupted due to hostilities. However, Pakistan does not grant MFN treatment to imports from India.

Under the export and import policy of Pakistan, private sector trade with India is restricted to a list of 573 items where imports from India are permissible. In contrast, discriminatory restrictions are not imposed by India on imports from Pakistan. Since Pakistan does not reciprocate in full measure and restricts items of import from India, all trade between the two countries is affected.

समेकित कोयला नीति

2118. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित कोयला नीति बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्न क्षेत्र लाये जायेंगे;

(ग) क्या कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये कोई विदेशी प्रौद्योगिकी मंगाई जायेगी;

(घ) क्या सरकार ने, समेकित कोयला नीति बनाने से पूर्व संसदीय समिति से सुझाव आमंत्रित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा एक एकीकृत कोयला नीति को निष्पादित किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) ऐसे कोयले का उत्पादन करने वाले देश, जोकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणीय हैं, उनके साथ विदेशी सहयोग किए जाने के मामले में अपेक्षानुसार विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

एकीकृत कोयला नीति को निष्पादित करने वाली समिति के विचारार्थ विषय

सरकार द्वारा 9वीं तथा 10वीं योजना अवधि के दौरान अंगीकृत किए जाने के लिए एक एकीकृत कोयला नीति से संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाना है। इसमें, अन्य बातों के अलावा, निम्न को समाहित किया जाएगा:—

(अ) 9वीं तथा 10वीं योजनावधि (1997—2007) में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोक कर कोयले और लिग्नाइट की मांग की किसी विस्तृत रूप में मूल्यांकन।

1. **विद्युत क्षेत्र:**

(क) 9वीं तथा 10वीं योजनाओं (1997—2007) के लिए विद्युत क्षेत्र में विभिन्न ईंधनों की अतिरिक्तयों की क्षमता के साथ विद्युत मंत्रालय का अनुमान।

(ख) तापीय विद्युत उत्पादन किए जाने के लिए संगत लागतों का मूल्यांकन, जो कि विभिन्न प्रतिनिध्यात्मक स्थलों पर विभिन्न ईंधनों से संबंधित है, जिसमें पिटहैड तथा लदान केन्द्र शामिल है।

(ग) देशीय डीशेल्ड/परिष्कृत कोयले की तुलना में आयातित कोयले/प्राकृतिक गैस/विद्युत उत्पादन के लिए अन्य ईंधन के चयन में न्यूनतम लागत विकल्प का